शिक्षा का अधिकार

प्रो. शान्ता सिन्हा से लतिका गुप्ता की बातचीत

प्रो. शान्ता सिन्हा का मानना है कि शिक्षा का अधिकार कानून वर्तमान शैक्षिक स्थितियों में शिक्षा की बेहतरी के लिए परिवर्तनकारी कानून साबित होगा और बच्चों को उत्पीड़नकारी स्थितियों से मुक्त करेगा। इस कानून के प्रावधानों से शिक्षा में दीर्घकालीन परिवर्तन आएंगे एवं यह कानून देश के दीर्घकालीन विकास एवं लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में काम करेगा।

प्रश्न : शिक्षा के अधिकार कानून के आगमन को आप आज के संदर्भ में कैसे देखती हैं ?

उत्तर : मुझे लगता है कि बच्चों के संदर्भ में यह एक ऐतिहासिक कानून है। मूलतः यदि आप समस्या की गहनता को देखें तो स्वतंत्रता के 60 साल बाद भी इस देश में बहुत बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ऐसे में यह कानून प्रत्येक बच्चे को स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाने का एक कानूनी प्रारूप प्रदान करता है। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण कदम है बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगी कि यह एक लोकतान्त्रिक कानून है जो सभी बच्चों को स्कूल में लाने और उन सभी प्रकार के उत्पीड़नों से, जिन्हें बच्चे भुगतते हैं, उन्हें उनसे दूर रखेगा। साथ ही देश में विकास एवं लोकतंत्र के लिए रास्ता खोलेगा। यह देश के विकास और लोकतंत्र, दोनों, की बुनियाद को मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए मुझे यह एक महत्त्वपूर्ण कदम लगता है। हमारे लिए यह एक शर्म की बात है कि इस कानून के बनने में आजादी के बाद 60 साल का समय लगा। लेकिन आज भी इस कानून का आना बहुत महत्त्वपूर्ण है। हमारे समाज में ऐसा कुछ हुआ है कि यह सपना नहीं रह गया बल्कि हकीकत बन चुका है।

प्रश्न : क्या आप बता सकती हैं कि विधेयक में ऐसे क्या-क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर : सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि इस कानून में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी बच्चों की पड़ोस के स्कूल में प्रवेश सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी एवं बाध्यता है। यदि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर है तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उसे स्कूल में लाना राज्य की जिम्मेदारी होगी। यदि बच्चा स्कूल में नहीं आता है तो यह कानून के उल्लंघन की स्थिति होगी। मुझे लगता है यह बहुत ही सार्थक और महत्त्वपूर्ण बात है। दूसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कानून में बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है कि राज्य की क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं। यह कानून जिम्मेदारी के मुद्दे को कल्पना के लिए खुला नहीं छोड़ता। बहुत स्पष्टता से कहा गया है कि राज्य बच्चे को पड़ोस में स्कूल उपलब्ध करवाने के लिए किस तरह बाध्य है और वास्तव में स्कूल के क्या मायने हैं ? इसके प्रपत्र में कहा गया है कि शिक्षक-बालक का अनुपात प्राथमिक स्तर पर 1 : 30 एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 1 : 35 होगा। कानून हर शिक्षक के लिए कक्षा-कक्ष के बारे में, स्कूल में खेल के मैदान, चारदीवारी और पुस्तकालय के बारे में बात करता है। यह पाठ्य-सहगामी कार्यों, कला और संगीत के लिए अतिरिक्त समय की बात बहुत ही स्पष्टता से करता है। मुझे लगता है कि एक स्कूल को कैसा होना चाहिए, इसकी कल्पना पहली बार इस कानून में की गई है और उसे लागू करना राज्य के लिए अनिवार्य बनाया गया है।

यदि आप ध्यान दें तो यह विचारणीय मुद्दा है कि स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहें हैं। इसलिए यह कानून शिक्षकों के पेशेवर वर्ग के प्रावधान और उनके प्रशिक्षित होने की बात करता है। मेरा मतलब है कि यह कानून उन सभी पैरा शिक्षकों और स्वयंसेवियों की सेवाओं को स्वीकार करता है जिन्होंने पूरी जीवन्तता के साथ बच्चों की शिक्षा के काम को बखूबी संभाला लेकिन निश्चित

शान्ता सिन्हा : सामाजिक कार्यकर्ता प्रो. शान्ता सिन्हा एमवी फाउण्डेशन, आन्ध्र प्रदेश की संस्थापक सदस्य हैं। वर्तमान में बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दिल्ली की अध्यक्षा हैं।

संपर्क : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 5वीं मंजिल, चन्द्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

लतिका गुप्ता : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में परामर्शदात्री।

संपर्क : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 5वीं मंजिल, चन्द्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

तौर पर उनको पेशेवर शिक्षक की तरह सम्मान नहीं दिया जा सका। इस कानून के मुताबिक यह अनिवार्य है कि इस कानून के लागू होने के बाद शिक्षक-बालक अनुपात को 6 महीने के अंदर 1 : 30 पर कायम किया जाए। साथ ही राज्य को यह देखना भी जरूरी है कि सभी शिक्षक प्रशिक्षित हैं या नहीं और ऐसी स्थिति में उनका प्रशिक्षण करना भी राज्य की ही जिम्मेदारी है। पांच साल के बाद सभी शिक्षक प्रशिक्षित होने चाहिएं और पांच साल बाद यह प्रश्न नहीं बचा रह जाता कि नियुक्त किए जाने वाले शिक्षक अप्रशिक्षित हों।

यदि हम कल्पना करें तो पाएंगे कि यह बहुत ही विशाल काम है। इसका मतलब है कि यदि आपको शिक्षकों की जरूरत है तो शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भी लोग चाहिएं। यदि शिक्षक शिक्षा के लिए लोग चाहिएं तो इसका मतलब है कि इसके लिए प्रशिक्षण संस्थान और कॉलेज होने चाहिएं। इसके लिए बहुत विशाल संस्थायी ढांचा चाहिए जो कि देश के लाखों शिक्षकों को प्रशिक्षण दे सके।

प्रश्न : इन सभी कार्यों में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की क्या भूमिका होगी ?

उत्तर : वास्तव में इस वक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग शिक्षा की पहुंच के मुद्दे को देख रहा है। जब आयोग विभिन्न राज्यों में गया तो पाया कि बहुत से बच्चे अभी स्कूल में नहीं हैं। वे स्कूल छोड़ चुके हैं और वे काम कर रहे हैं, उन्हें काम के लिए अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। वे मजदूरी कर रहे हैं और उनका बहुत शोषण हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पहले तो स्कूल से बाहर रह गए बच्चों पर ध्यान देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उन सभी की स्कूल में पहुंच हो, जिसे कि यह कानून उन्हें प्रदान करता है और साथ ही यह कानून सुनिश्चित करेगा कि स्कूल में उन्हें उनकी उम्र के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए। मुझे याद नहीं पड़ता कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनके लिए किसी देश ने इस तरह का प्रावधान बनाया हो। यह देखना स्कूल की जिम्मेदारी है कि वे बच्चे अपने साथियों के साथ स्कूल आएं। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी यह निश्चित तौर पर चाहेगा कि पहली पीढ़ी के सीखने वाले अपनी उम्र के हिसाब से स्कूल में सहयोजित हों।

प्रश्न : इसमें एक बड़ी चुनौती है। यदि हर बच्चे को स्कूल लाना है तो जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है वे भी स्कूल पहुंचेंगी और ऐसे बच्चे जो कि मजदूरी कर रहें हैं, वे भी स्कूल पहुंचेंगे।

उत्तर : निश्चित ही, ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कि काम कर रहे हैं और इस वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। अतः ऐसे बच्चे सीधे अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। इसका मतलब है कि स्कूल की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी उनको उस कक्षा के लिए तैयार करने और उसमें स्वीकार करने के लिए। मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि यह काल्पनिक मामला नहीं है। ऐसा सर्व शिक्षा अभियान में आवासीय ब्रिज कार्यक्रमों के माध्यम से बड़े स्तर पर किया गया है। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से चल रहें हैं, लेकिन अब इसे औपचारिक रूप दिया गया है। यह कानून कहता है कि शिक्षा स्कूल की जिम्मेदारी है और वह स्कूल के द्वारा ही की जाएगी, अब इस काम को स्वयंसेवी संगठनों पर थोप के पल्ला नहीं झाड़ा जा सकेगा।

प्रश्न : इसका मतलब है कि मुख्य जिम्मेदारी स्कूल की होगी ?

उत्तर : हां, यह स्कूल की ही जिम्मेदारी होगी कि वह उन बच्चों को तैयार करे जो पहले से स्कूल छोड़े बैठे थे। स्कूल को यह करना भी चाहिए और स्वयंसेवी संगठन यह करें कि वे बच्चों को स्कूल तक लाएं।

प्रश्न : इसका मतलब है कि अगले 3-4 साल में हमारे स्कूलों पर बहुत दबाव बढ़ने वाला है ?

उत्तर : निश्चित ही ऐसा होगा। इसके अलावा सरकार के पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि तुम गरीब हो या काम करते हो, इसलिए स्कूल नहीं आ सकते। मुझे लगता है कि बच्चों को स्कूल में लाना सरकार की जिम्मेदारी है और वह उसको पूरी तरह निभाएगी।

प्रश्न : मैं, उदारहण के लिए, शारीरिक दण्ड का एक छोटा-सा मुद्दा लेती हूं। इस कानून में शारीरिक दण्ड निषेध है, लेकिन भारतीय कानून संहिता में शारीरिक दण्ड अभी तक एक अपराध नहीं है। क्या यह इन दोनों स्थितियों में विरोधाभास नहीं है ?

उत्तर : जब शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना है तो हम दण्ड के लिए शारीरिक उत्पीड़न, भावनात्मक उत्पीड़न

के निषेध के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि संहिता का मसला विचारणीय होगा क्योंकि यह मौलिक अधिकार है और यही वक्त है जब हमने स्कूलों में शारीरिक दण्ड को चर्चा का विषय बनाया है और साथ ही इसे इस ढंग से परिभाषित किया है कि किसी बच्चे का अपमान नहीं किया जाएगा अथवा किसी भी प्रकार से नीचा नहीं दिखाया जाएगा। इन दण्डों में किसी भी एक तरह की हिंसा और दूसरे प्रकार की हिंसाओं में कोई भेद नहीं किया जा सकता। सभी प्रकार की हिंसा बच्चे के मन को चोट पहुंचाती हैं।

प्रश्न : अतः आप आशान्वित हैं कि यह कानून शारीरिक दण्ड के कानून में बदलाव ला पाएगा ?

उत्तर : मैं कह रही हूं कि यह इस वक्त शारीरिक दण्ड का एक कानून है, जिसे निषेध कर दिया गया है।

प्रश्न : हम जानते हैं कि शारीरिक दण्ड अभी अपराध नहीं है और इसके लिए कोई विशेष दण्ड का प्रावधान नहीं है।

उत्तर : मुझे लगता है कि आपने जो कहा है वह सही है और इसके लिए नियम बनाने पर काम करना होगा। स्कूल में बच्चे पर किसी भी तरह की हिंसा के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिएं और अपराध दण्ड संहिता को पुनः देखने की जरूरत है और भारतीय दण्ड संहिता और शारीरिक दण्ड से जुड़े प्रावधानों को हम पुनः देखकर संज्ञान में लाएंगे।

प्रश्न : यहां पर कुछ अन्य कानून भी हैं जो बच्चों को सुरक्षित जीवन प्रदान करने की बात करते हैं। जैसे कि बाल विवाह कानून, लेकिन हम जानते हैं कि इसका हर रोज उल्लंघन होता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा का अधिकार कानून आपको कैसे आशान्वित करता है ?

उत्तर : एक बात तो यह है कि शिक्षा का अधिकार कानून वास्तव में 6 से 14 वर्ष तक की एक विवाहित लड़की को बच्चा परिभाषित करेगा। बहुत से बच्चे जिनकी शादी हो चुकी है और जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और जो अपनी शिक्षा छोड़ चुके हैं, लेकिन यह कानून कहता है कि 6 से 14 के बच्चे जिनकी शादी हो चुकी है उन्हें इस कानून के तहत बच्चा ही माना जाएगा और साथ ही उन्हें घरेलू कामों में बांधकर नहीं रखा जाएगा। वे अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाने के लिए मुक्त होंगे। हमारे समाज में लड़कियों और शादीशुदा लड़कियों को पहली बार कानूनी स्तर पर बच्चा मानने का प्रयास हुआ है। इसलिए यह मुझे विशेष रूप से उत्साहवर्धक लगता है।

प्रश्न : यदि पिछले मुद्दे पर जाएं तो ऐसा लगता है कि अगले 5-6 साल में ऐसे बहुत से बच्चे स्कूलों में आएंगे जो कि अभी तक स्कूल नहीं गए हैं। इसका एक मतलब होगा कि बहु-कक्षीय प्रणाली को स्कूलों में लागू किया जाएगा।

उत्तर : मुझे लगता है और यह अच्छा है कि हम इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। हमारी स्कूली व्यवस्था को इस तरह के मुद्दों के लिए तैयार होना होगा। यह एक मुद्दा है जिसे कि आपने चिह्नित किया है कि करीब 50 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी स्कूलों में नहीं हैं। वे अब स्कूल पहुंचेंगे और स्कूल को इसके लिए तैयार होना चाहिए। यह सही मायने में शिक्षक के सशक्तिकरण की योजना है। पहली बार आने वाले बच्चे को वे कैसे पढ़ाएं ? यह अच्छे शिक्षकों की जबरदस्त मांग करता है।

प्रश्न : और बच्चों का आना व्यवस्था पर खुद दबाव बनाएगा।

उत्तर : यह तो सही है कि व्यवस्था पर दबाव बनेगा। मैं कहने की कोशिश कर रही हूं कि यह शिक्षकों के सशक्तीकरण के कार्यक्रमों में यह मुद्दा उठेगा कि जो बच्चे अभी तक स्कूल नहीं आए हैं ऐसे प्रत्येक उस बच्चे की परवाह की जाए। इसलिए इसके लिए कोई केन्द्रीकृत नीति नहीं बनाई जा सकती कि इसे कैसे संभव बनाया जाए। यह शिक्षक पर ही निर्भर करेगा कि वह तय करे। जिस तरह डॉक्टर तय करता है कि मरीज के साथ क्या किया जाना है। प्रत्येक मरीज के लिए डॉक्टर निर्देशों की तरफ नहीं देखता जो कि आमतौर पर ऊपर से आते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि डॉक्टर को कैसे सशक्त और पेशेवर तैयारी के साथ निर्मित किया जाता है। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसे बच्चों के आने से शिक्षक को एक पेशेवर की तरह देखने की मुहिम भी शुरू होगी।

प्रश्न : इसका मतलब है कि हम शिक्षक के लिए स्नातक स्तर का कोर्स शुरू करने पर सोचने का सबसे उपयुक्त समय है और यह किसी दो-तीन महीने के कार्यक्रम, डिप्लोमा और दूरस्थ तरह के कार्यक्रमों से होने वाला काम नहीं है।

उत्तर : बिल्कुल, शिक्षक को डॉक्टर और वकील की तरह पेशेवर रूप में सम्मान देने का यह उपयुक्त समय है। इससे वह पुराना व्यवहार और दृष्टिकोण भी बदलेगा जिसमें कि कोई भी बच्चों को पढ़ा सकता है। ◆